न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी — जोगेन्द्र सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या - 01/2022 — दायर दिनांक

कमलेश पत्नी रमेश चन्द जाति जाटव निवासी भैंसीना तह० मुसावर जिला भरतपुर (राज०)

--- प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील मुसावर जिला भरतपुर (राज०)
2. अशोक पुत्र बाबू } जाति जाटव ग्राम भैंसीना तहसील
3. प्रमावसिंह पुत्र बाबू } मुसावर जिला - भरतपुर (राज०)

---- अप्रार्थीगण

अधिवक्ता 1. श्री नरेन्द्र कुमार जैन्थ - प्रार्थ

" पैरोकार सरकार

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRA

निर्णय दिनांक 04.02.2022

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRA का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ० ख० नं. 425 रकवा 1 बीघा व खसरा नम्बर 425/1 रकवा 1 बीघा बाके ग्राम भैंसीना तहसील मुसावर में स्थित है जिनमें प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 रिकार्ड अनुसार खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी हैं! उक्त खसरा नम्बरान के भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा नये खसरा नम्बर सृजित किए गए है। जिसमें आराजी खसरा नम्बर 425 रकबा 1 बीघा का नया खसरा नम्बर 567 रकबा 0.1600 हेक्टर तथा आराजी खसरा नम्बर 425/1 रकवा 1 बीघा का नया खसरा नम्बर 568 रकवा 0.1600 हे० बनाये गए। उक्त में उभयपक्ष कारान रिकार्ड अनुसार खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी रहे है तथा मौके पर उपरोक्त खसरा नम्बर में विभाजन के पश्चात नक्शा ट्रेस व रिकार्ड के अनुसार खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी रहे हैं!

प्रार्थिया का हिस्सा तरफ रास्ता से तरफ दक्षिण की ओर कब्जा चला आ रहा है तथा अप्रार्थी सं० 2 व 3 का हिस्सा रास्ते से तरफ उत्तर की ओर कब्जा चला आ रहा है। और प्रार्थिया व अप्रार्थी सं० 2 व 3 के रकबा की अलग-2 डोल मेंड कायम हो रही हैं तथा उसी अनुसार उभय पक्षकान मौके पर अपनी अपनी आराजी को जोतते-बोते चले आ रहे हैं।

वर्तमान नक्शा ट्रेस में भू-प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने बिना मौका देखे ही नक्शा बनाते समय मौके के विपरीत मूल खसरा नम्बर 425 व 452/1 के नये खसरा नम्बर 56,568 को नक्शा में मौके विरुद्ध तरमीम कर दिया है जो मौके एवं कब्जे के बिलकुल विपरीत है। उपरोक्त खसरा नम्बरान का मौके पर काफी समय से विभाजन करते समय कब्जा खाते-दारान का उत्तर से दक्षिण चला आ रहा है। उसी प्रकार नक्शा ट्रेस तरमीम बाबत निवेदन किया गया है।

हमने प्रार्थिया प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड कर Ad. की गई। नोटिस की तामील में अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 द्वारा द्वारा जवाब। इकबाल दावा प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया की सभी मदों को स्वीकार किया गया तथा उन्होंने अवगत कराया कि प्रार्थना अनुसार निर्णय किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

तहसीलदार भुसावर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अवगत कराया कि खसरा नम्बर 567 रकबा 0.16 हे० कमलेश पत्नी रमेश जाति जाटव सा. देह खातेदार है तथा ख.न. 568 रकबा रकबा 0.16 हे० अशोक, प्रभावसिंह पिसर बाबू जाति जाट सा० देह खाते उपरोक्त नाम दर्ज रिकार्ड है। तथा मौके पर उभयपक्ष रास्ते के सहारे-सहारे वर्तमान में काबिज है।

हमने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRA एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा फेरोकार सरकार एवं अप्रार्थीगण सं० 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं जबाव इकबाल दावा का अवलोकन किया गया उपरोक्त के आधार पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRA स्वीकार किया जाता है, तथा तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आ० ख० नं० 567 रकबा 0.1600 हैक्टर तथा आ० ख० नं० 568 रकबा 0.1600 हैक्टर वाके ग्राम मैलीना तहसील भुसावर के वर्तमान नक्शा ट्रेस में आराजी खसरा नम्बर 567 को तरफ रास्ता से पूर्व-पश्चिम बजाय तरफ दक्षिण में तथा आ० ख० नं० 568 को तरफ उत्तर में शुद्ध कर नक्शा ट्रेस में दर्ज किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)